



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ 1937 (श0)  
(सं0 पटना 611) पटना, बृहस्पतिवार, 4 जून 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं  
29 मई 2015

एस०ओ० 114, दिनांक 4 जून 2015—केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उप-धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि ऐसा किया जाना लोकहित में आवश्यक है, बिहार के राज्यपाल यह घोषित करते हैं कि दिनांक 12.10.2006 से दिनांक 13.03.2013 तक की अवधि में, उद्योग विभाग द्वारा निबंधित जिन सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने विनिर्मित वस्तुओं की अंतर्राज्यीय बिक्री पर क्रेताओं से केन्द्रीय बिक्री-कर के रूप में मात्र 1 प्रतिशत की दर से संग्रहण किया गया है, उससे उच्च दर पर केन्द्रीय बिक्री-कर की वसूली नहीं की जायेगी।

2. यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/विविध-173/2013)-2390]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 मई 2015

एस०ओ० 115, एस०ओ० 114, दिनांक 4 जून 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/विविध-173/2013)-2391]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 29th May 2015*

S.O. 114, dated 4th June 2015—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 the Governor of Bihar, after being satisfied that it is necessary to do so in public interest, is pleased to declare that Central

Sales Tax at higher rate shall not be recovered from those micro Industrial Units registered by the Industries Department, which, in course of interstate trade or commerce, have been collected as Central Sales Tax on sales from buyers of its manufactured products at the rate of only one percent during 12.10.2006 to 13.03.2013.

2. This notification shall come into force with immediate effect .

[F.No. Bikri-kar/vividh-173/2013-2390]

By order of the Governor of Bihar,

**RAVI MITAL,**

*Commissioner-cum-Principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 611-571+20-डी0टी0पी0।

**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**